

आईटी प्रणाली आधारित मीटर पठन योजना का न जनित होना

6.1 दोनों आईटी बिलिंग प्रणालियों के मॉडल दस्तावेज¹ में यह प्रावधान है कि प्रणाली को दिन/सप्ताह/पखवाड़े के लिए मीटर रीडर्स द्वारा मीटर रीडिंग योजना तैयार करना चाहिए एवं इसे सम्बंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराना चाहिए। मीटर रीडिंग योजना तैयार करने के लिए, प्रणाली को ग्राहक के लिए उपलब्ध मीटर रीडर्स की संख्या और नियत तिथि से पहले सभी मीटरों को शामिल करने के लिए उनकी उत्पादकता का ध्यान रखना चाहिए। व्यवसायिक तर्क स्वामी द्वारा प्रदान किया जाएगा और स्वामी के पास उसे संशोधित करने के लिए लचीलापन होना चाहिए। योजना तैयार होने के बाद इसे सम्बंधित कार्यालयों को ई-मेल/अन्य माध्यम से भेजा जाएगा ताकि मीटर रीडर उस दिन मीटर का पठन करने के लिए मीटर के स्थल/परिसर के पते को डाउनलोड कर सकें।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसी कोई मीटर रीडिंग योजना जनित नहीं की गई थी क्योंकि मीटर रीडिंग की प्रणाली आधारित योजना से सम्बंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। नमूना खण्डों की जाँच के दौरान यह भी देखा गया कि प्रत्येक खण्ड में उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग के लिए मीटर रीडर अनियमित ढंग से तैनात किए गए थे। मार्च 2019 के उपभोक्ता डाटा के विश्लेषण पर निम्नलिखित देखा गया:

(i) आर-एपीडीआरपी बिलिंग प्रणाली में शहरी क्षेत्रों के मार्च 2019 के माह की अवधि में प्रत्येक मीटर रीडर के लिए निर्धारित 1,500 मीटर पठन के सापेक्ष मीटर रीडर द्वारा 1 से 3,801 मीटर पठन तक की मीटर रीडिंग अभिलिखित की गई थी। अग्रेतर, गैर आर-एपीडीआरपी बिलिंग प्रणाली के डाटा में मीटर रीडर्स की आईडी की पहचान करने के लिए कोई समान फील्ड सम्मिलित नहीं पायी गयी।

(ii) दोनों आईटी बिलिंग प्रणालियों के 2,58,04,464 इन-सर्विस उपभोक्ताओं (आर-एपीडीआरपी: 66,86,222 तथा गैर आर-एपीडीआरपी: 1,91,18,242) के सापेक्ष केवल 2,02,67,194 उपभोक्ताओं (आर-एपीडीआरपी: 51,84,106 तथा गैर आर-एपीडीआरपी: 1,50,83,088) मीटर रीडर्स द्वारा बिल किए गए थे अर्थात् 78.54 प्रतिशत; तथा

(iii) तैनात किये गये मीटर रीडर द्वारा 2,02,67,194 मीटर रीडिंग (आर-एपीडीआरपी: 51,84,106 तथा गैर आर-एपीडीआरपी: 1,50,83,088) के सापेक्ष, 6,74,134 प्रकरणों में (आर-एपीडीआरपी: 62,451 तथा गैर आर-एपीडीआरपी: 6,11,683) मीटर रीडिंग दोषपूर्ण थी और उन्हें 'रीड डिफेक्टिव' टिप्पणी की स्थिति के अन्तर्गत दिखाया गया था।

इस प्रकार, प्रणाली-आधारित मीटर पठन योजना की अनुपलब्धता के कारण मीटर रीडर्स को अनियमित ढंग से तैनात किया गया। अग्रेतर, बिल योग्य उपभोक्ताओं के दोषपूर्ण आच्छादन और त्रुटिपूर्ण बिलिंग की उच्च प्रतिशतता ने बिलिंग और संग्रहण दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स की एटी एंड सी हानियों में वृद्धि हुई।

कम्पनी ने बताया (जुलाई 2020) कि बिलिंग एजेंसियां सामान्यतः अपने स्वयं के विकसित क्षेत्र कोड और मार्ग के क्रम का उपयोग करके बिल करती हैं। प्रत्येक माह मीटर रीडर एक ही बिलिंग क्रम का पालन करते हैं। ऐसे प्रकरणों में, जहां मीटर रीडर असामान्य रूप से उच्च रीडिंग दिखाते हैं, यह बहु-मंजिला भवनों में संयोजनों के समूह

¹ आर-एपीडीआरपी: एसआरएस का क्लॉज एम 8 और गैर आर-एपीडीआरपी: आरएफपी का क्लॉज एम 7।


में होने के कारण होता है। अग्रेतर बताया गया कि बिलिंग की कमी मुख्य रूप से मीटर रीडर्स की कमी और डुप्लिकेट/घोस्ट उपभोक्ताओं के कारण है जिसके लिए शास्ति लगायी जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि अधिकतम उपभोक्ता मीटर को आच्छादित करने के लिए क्रियान्वित आईटी बिलिंग प्रणाली के माध्यम से मीटर पठन योजना नहीं जनित हुई। अग्रेतर, कम्पनी ने स्वयं मीटर रीडरों की कमी के तथ्य को स्वीकार किया जिससे उपभोक्ताओं की बिलिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

‘इन-सर्विस’ उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली न होना

6.2 संहिता के क्लॉज 4.36 में प्रावधानित है कि यदि उपभोक्ता को दी गयी नोटिस में निर्दिष्ट दिनों, जो कि उपभोक्ता को दी गयी नोटिस में इंगित असंयोजन की तिथि किन्तु 15 दिनों से कम न हो, के अन्दर यदि विद्युत के प्रभार के कारण विद्युत बिल एवं विद्युत भुगतान के लिये प्रभार के अतिरिक्त किसी अन्य धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता की आपूर्ति, केवल सम्यक तत्परता के बाद, अस्थायी रूप से असंयोजित की जायेगी। अग्रेतर, संहिता के क्लॉज 4.20 में प्रावधान है कि कम्पनी अनुज्ञप्तिधारी के हितों की रक्षा के लिए सभी उपभोक्ताओं के दो माह के प्राक्कलित विद्युत उपभोग के समतुल्य प्रतिभूति जमाराशि रखेगी।

चार्ट 6.1: प्रतिभूति जमाराशि के सापेक्ष उपभोक्ता पर बकाया



स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2019 तक दोनों आईटी बिलिंग प्रणालियों के अन्तर्गत 2,58,04,464 इन-सर्विस उपभोक्ताओं (आर-एपीडीआरपी: 66,86,222 तथा गैर आर-एपीडीआरपी: 1,91,18,242) में से 2,26,15,303 उपभोक्ताओं (आर-एपीडीआरपी: 52,34,532 तथा गैर आर-एपीडीआरपी: 1,73,80,771) पर कम्पनी का ₹ 54,400.13 करोड़ (आर-एपीडीआरपी: ₹ 10,099.82 करोड़ तथा गैर आर-एपीडीआरपी:

₹ 44,300.31 करोड़) बकाया था जिसके सापेक्ष कम्पनी के पास ₹ 2,068.91 करोड़ (आर-एपीडीआरपी: ₹ 739.82 करोड़ तथा गैर आर-एपीडीआरपी: ₹ 1,329.09 करोड़) की प्रतिभूति जमाराशि थी जैसा कि चार्ट 6.1 में दर्शाया गया है।

कुल 2,26,15,303 (आर-एपीडीआरपी: 52,34,532 तथा गैर आर-एपीडीआरपी: 1,73,80,771) चूक करने वाले उपभोक्ताओं में से 1,04,95,188 उपभोक्ताओं (आर-एपीडीआरपी: 52,10,071 तथा गैर आर-एपीडीआरपी: 52,85,117) (कुल चूक करने वाले उपभोक्ताओं का 46.41 प्रतिशत) पर ₹ 15,775.39 करोड़ (आर-एपीडीआरपी: ₹ 10,068.62 करोड़ तथा गैर आर-एपीडीआरपी: ₹ 5,706.77 करोड़) (कुल बकाया का 29 प्रतिशत) के बकाया के साथ भुगतान की अंतिम तिथि उल्लिखित और शेष 1,21,20,115 उपभोक्ताओं (आर-एपीडीआरपी: 24,461 और गैर आर-एपीडीआरपी: 1,20,95,654) (कुल चूककर्ता उपभोक्ताओं का 53.59 प्रतिशत) पर ₹ 38,624.74 करोड़ के बकाया (आर-एपीडीआरपी: ₹ 31.20 करोड़ तथा गैर आर-एपीडीआरपी: ₹ 38,593.54 करोड़) (कुल बकाया का 71 प्रतिशत) के साथ दोनों आईटी बिलिंग प्रणालियों के डाटा में कोई अंतिम भुगतान तिथि उल्लिखित नहीं थी। किसी अंतिम भुगतान तिथि के अभाव में 1,21,20,115 चूककर्ता उपभोक्ताओं (आर-एपीडीआरपी:

24,461 तथा गैर आर-एपीडीआरपी: 1,20,95,654) की स्थिति का लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण नहीं किया जा सका। अग्रतर, उपभोक्ताओं पर बकाया का आयु-वार विश्लेषण, जहाँ डाटा में अंतिम भुगतान तिथि पायी गई थी, का विवरण **परिशिष्ट-6.1** में दिया गया है।

1,04,95,188 चूककर्ता उपभोक्ताओं (आर-एपीडीआरपी: 52,10,071 तथा गैर आर-एपीडीआरपी: 52,85,117) में से जिनकी अंतिम भुगतान तिथि उपलब्ध थी, 40,63,580 उपभोक्ताओं (आर-एपीडीआरपी: 14,37,549 तथा गैर आर-एपीडीआरपी: 26,26,031) जिनपर बकाया ₹ 11,064.43 करोड़ (आर-एपीडीआरपी: ₹ 6,714.98 करोड़ तथा गैर आर-एपीडीआरपी: ₹ 4,349.45 करोड़) था, ने अपने मासिक बिलों के भुगतान में तीन माह से अधिक (3 माह से लेकर 12 माह से अधिक तक) समय से चूक करते रहे जिसके सापेक्ष, उपलब्ध प्रतिभूति जमाराशि केवल ₹ 263.13 करोड़ (आर-एपीडीआरपी: ₹ 97.15 करोड़ तथा गैर आर-एपीडीआरपी: ₹ 165.98 करोड़) (अर्थात् 2.38 प्रतिशत) थी। चूंकि कम्पनी दो माह की प्रतिभूति जमाराशि रखती है और विच्छेदन हेतु 15 दिनों की अवधि प्रदान की जाती है, अधिकतम तीन माह की अवधि को अस्थायी विच्छेदन करने के लिए पर विचार किया जा सकता था। व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए, कम्पनी को इन चूककर्ता उपभोक्ताओं के विरुद्ध अस्थायी विच्छेदन की कार्यवाही समय पर शुरू करनी चाहिए थी जिससे ₹ 11,064.43 करोड़ के भुगतान में चूक को कम किया जा सकता था। लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इन 40,63,580 उपभोक्ताओं का अस्थायी विच्छेदन करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने इन उपभोक्ताओं से ₹ 243.81 करोड़ (आर-एपीडीआरपी: ₹ 86.25 करोड़ तथा गैर आर-एपीडीआरपी: ₹ 157.56 करोड़) विच्छेदन और पुनः संयोजन प्रभार (₹ 600 प्रति प्रकरण की दर से) भी वसूल नहीं किया।

कम्पनी ने बताया (जुलाई 2020) कि दोनों आईटी बिलिंग प्रणालियों में ऐसे कई उपभोक्ता हैं जिनकी प्रतिभूति जमाराशि गलत या दोषपूर्ण है और बकाया का प्रमुख अंश ग्रामीण क्षेत्रों में है। अग्रतर कहा गया कि सम्बंधित खण्डों द्वारा ऑफलाइन ढंग से पुनः संयोजन/विच्छेदन प्रभार लगाया जाता है। गैर आर-एपीडीआरपी के प्रकरण में बताया कि कई प्रकरणों में आईटी बिलिंग प्रणाली के डाटा में अंतिम भुगतान की तारीख मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण नहीं पाई गई थी क्योंकि 2017 से पूर्व बैच मोड बिलिंग प्रयोग में थी जिसमें पिछले भुगतान की तिथि का प्रावधान था लेकिन संक्रमणक चरण के दौरान का डाटा गैर आर-एपीडीआरपी प्रणाली पर नहीं आया है।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि ₹ 11,064.43 करोड़ (तीन माह से अधिक के बकाया) के कुल बकाया में से ₹ 6,714.98 करोड़, अर्थात् 60.69 प्रतिशत केवल शहरी उपभोक्ताओं से सम्बंधित है। कम्पनी ने स्वीकार किया कि संयोजन/विच्छेदन शुल्क ऑनलाइन प्रभारित करने हेतु प्रणाली दोषपूर्ण है। अग्रतर, सम्पूर्ण उपभोक्ता डाटा को गैर आर-एपीडीआरपी प्रणाली में स्थानान्तरित करने की मूलभूत आवश्यकता थी, परन्तु कम्पनी उपभोक्ताओं से सम्बंधित महत्वपूर्ण डाटा को स्थानान्तरित करने में विफल रही।

समापन बैठक (मार्च 2021) में, सरकार ने बताया कि प्रकरण उनके संज्ञान में है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

स्थायी विच्छेदन का निष्पादन न होना

6.3 संहिता के क्लॉज 4.38 (बी) में प्रावधान है कि यदि अस्थायी रूप से विच्छेदित आपूर्ति के कारण का निराकरण छः माह की अवधि में नहीं होता, तो आपूर्ति स्थायी रूप से विच्छेदित कर दी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2019 में दोनों आईटी बिलिंग प्रणालियों के अन्तर्गत 5,20,772 उपभोक्ता (आर-एपीडीआरपी: 3,73,306 तथा गैर आर-एपीडीआरपी:

1,47,466), जिनकी बकाया राशि ₹ 3,441.21 करोड़ (आर-एपीडीआरपी: ₹ 2,808.63 करोड़ तथा गैर आर-एपीडीआरपी: ₹ 632.58 करोड़) थी, विगत छः माह से लगातार अस्थायी विच्छेदन (टीडी) स्थिति में थे, परन्तु उनके विरुद्ध प्रावधानों के अनुसार स्थायी विच्छेदन (पीडी) आरम्भ नहीं किया जा सका। अग्रेतर, दोनों आईटी बिलिंग प्रणालियां भी ऐसे उपभोक्ताओं के लिए प्रणाली सचेतकों को जनित करने में सक्षम नहीं थीं क्योंकि छः माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी ऐसे उपभोक्ताओं की स्थिति अभी भी टीडी के अन्तर्गत परिलक्षित थी। इस प्रकार, खण्ड स्तर पर प्रणाली सचेतक और उचित अनुश्रवण के अभाव में ऐसे उपभोक्ताओं के विरुद्ध समय पर कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 3,441.21 करोड़ (आर-एपीडीआरपी: ₹ 2,808.63 करोड़ तथा गैर आर-एपीडीआरपी: ₹ 632.58 करोड़) के बकाये परिहार्य रूप से संचित हो गये।


कम्पनी ने बताया (जुलाई 2020) कि प्रणाली टीडी और पुनः संयोजन रिपोर्ट उत्पन्न करती है और इसके द्वारा छः माह से अधिक समय से विच्छेदित किए गए संयोजनों का अनुश्रवण किया जा सकता है। अग्रेतर बताया गया कि प्रणाली में अस्थाई विच्छेदन का अर्थ यह नहीं है कि उपभोक्ताओं का स्थायी विच्छेदन पूर्व में आरम्भ नहीं किया गया क्योंकि प्रणाली के माध्यम से स्थायी विच्छेदन जटिल था जिसे अब सरल कर दिया गया है। तथ्य यह है कि कम्पनी निर्धारित छः माह की अवधि के अन्दर अस्थाई रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं को स्थायी रूप से विच्छेदित करने में विफल रही।

मीटर दोषों की उच्च प्रतिशतता

6.4 संहिता के क्लॉज 7.18 में प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी, कुल सक्रिय मीटरों की संख्या के सापेक्ष त्रुटिपूर्ण मीटर की संख्या की स्थिति को तीन प्रतिशत से अनधिक बनाये रखेगा।

मार्च 2019 के बिलिंग डाटा के विश्लेषण पर लेखापरीक्षा ने देखा कि दोनो आईटी बिलिंग प्रणालियों के अन्तर्गत इन-सर्विस 2,58,04,464 उपभोक्ताओं (आर-एपीडीआरपी: 66,86,222 तथा गैर आर-एपीडीआरपी: 1,91,18,242) में से, 41,04,994 उपभोक्ताओं (आर-एपीडीआरपी: 5,47,833 तथा गैर आर-एपीडीआरपी: 35,57,161) की बिलिंग स्थिति एडीएफ, सीडीएफ, आईडीएफ और आरडीएफ² और दोष अनुपात 15.91 प्रतिशत था जो कि प्रावधानित सीमा से अत्यंत अधिक था। मार्च 2019 को डिस्कॉम-वार मीटर दोष चार्ट 6.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.2: मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम-वार मीटर दोष



स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित

² एडीएफ: अपियर डिफेक्टिव, सीडीएफ: सीलिंग डिफेक्टिव, आईडीएफ: आइडेंटिफाइड डिफेक्टिव, आरडीएफ: रीड डिफेक्टिव।

इस प्रकार, मीटर दोष की इतनी अधिक प्रतिशतता ने बिलिंग और संग्रहण दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जिसके परिणामस्वरूप न केवल दोषपूर्ण बिलिंग हुई अपितु इससे अंतिम रूप से एटी एंड सी हानियां भी प्रभावित हुईं।

समापन बैठक (मार्च 2021) में शासन ने बड़ी संख्या में दोषपूर्ण मीटरों के तथ्य को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि मीटर दोषों को दूर करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल इन-सर्विस उपभोक्ताओं के सापेक्ष आईडीएफ मीटर की संख्या में अत्यंत कमी आई है।

प्री-पेड मीटरिंग स्थापित न करना

6.5 निदेशक मण्डल ने एलएमवी-4(ए) श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सरकारी उपभोक्ताओं के संयोजन में प्रीपेड मीटर लगाने का संकल्प लिया (129वीं बैठक दिनांक जून 2017) जिससे पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता, दोषपूर्ण मीटर, बकाया देय राशियों के विलंबित भुगतान का समायोजन न होना एवं समय से बीजक को पारित न करने जैसे प्रकरणों से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2019 को, एलएमवी-4 (ए) उपभोक्ताओं की कुल संख्या 69,794 थी, परन्तु बिलिंग डाटा के अनुसार केवल 39 उपभोक्ताओं (आर-एपीडीआरपी) के पास प्रीपेड मीटर स्थापित थे। इन उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया राशि ₹ 554.32 करोड़ थी। नियमों के मानचित्रण हेतु विस्तृत कार्य क्षेत्र और अभिकल्प अभिलेख (20 जनवरी 2016 को) प्रदान करने, उपभोक्ता के पूर्व डाटा का स्थानांतरण करने (17 मई 2017) एवं तकनीकी विशिष्टीकरण का एकीकरण (1 मई 2017) जैसे तकनीकी विवरण उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण कम्पनी एलएमवी-4(ए) के 69,755 उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर स्थापित करने में विफल रही। इस प्रकार, प्रीपेड मीटरों की स्थापना न होने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं द्वारा बिलों के सत्यापन में विलम्ब हुआ तथा मार्च 2019 तक उपभोक्ताओं से ₹ 554.32 करोड़ के राजस्व के संग्रहण में विलम्ब हुआ और एटी एंड सी हानियों में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, सरकारी उपभोक्ताओं को ₹ 120.61 करोड़ के प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट के लाभों से भी वंचित होना पड़ा (**परिशिष्ट-6.2**)।

कम्पनी ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2020) कि सरकारी उपभोक्ता न केवल एलएमवी-4(ए) श्रेणी में हैं अपितु कई एलएमवी-1 में भी हैं। कुल 11,000 उपभोक्ताओं पर प्रीपेड मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं। अब स्थापित स्मार्ट मीटरों को उपयोगकर्ता के अनुकूल रिचार्ज विकल्पों के साथ बिलिंग प्रणाली से संरूपित और एकीकृत किया गया है। इसलिए अब से सरकारी संयोजनों पर वृहत स्तर पर प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि एलएमवी-1 के अन्तर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत आवासीय संयोजनों को सरकारी संयोजन नहीं कहा जा सकता है। अग्रेतर, तथ्य यह है कि कम्पनी निर्देशानुसार सभी सरकारी संयोजनों पर प्रीपेड मीटर स्थापित नहीं कर सकी। कम्पनी को उत्तर प्रदेश राज्य में सभी सरकारी उपभोक्ताओं पर प्रीपेड मीटर स्थापित करने के लिए उपयुक्त माइलस्टोन एवं समय-सीमा से युक्त एक कार्यवाही योग्य योजना तैयार करनी चाहिए।


आंकलन आधारित उपभोग

6.6 विद्युत अधिनियम की धारा 55 में प्रावधान है कि कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी सही मीटर के संस्थापन के माध्यम के सिवाय नियत तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विद्युत आपूर्ति प्रदान नहीं करेगा। अग्रेतर, संहिता के अध्याय 5 में यह भी प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को सही मीटर की स्थापना के अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति नहीं करेगा।

यूपीईआरसी ने भी मार्च 2018 तक शत-प्रतिशत मीटरिंग की उपलब्धि के सम्बंध में निर्देश³ जारी किए और असंतोषजनक प्रगति के प्रकरण में सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के निर्देश दिए।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016 के प्रस्तर 2.1.20 में लेखापरीक्षा ने इंगित किया था कि कम्पनी आर-एपीडीआरपी के अन्तर्गत आने वाले नगरों में सभी संयोजनों की 100 प्रतिशत मीटरिंग के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही।

चार्ट 6.3: मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बिना मीटर वाले उपभोक्ता



स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित

40,75,248 बिना मीटर के संयोजन अभी भी प्रणाली में विद्यमान थे, जिनका उपभोग 2018-19 की अवधि में 24,118.89 एम यू (आंकलन के आधार पर कम्पनी द्वारा की गयी गणना) था (परिशिष्ट-6.3)। नमूना खण्डों के जाँच में लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि एलएमवी-5 श्रेणी के उपभोक्ताओं से मीटर लागत प्राप्त करने के उपरांत भी खण्डों ने संयोजनों पर कोई मीटर स्थापित नहीं किया। अग्रेतर, तत्समय विद्यमान बिना मीटर वाले संयोजनों को मीटर्ड संयोजनों में परिवर्तित करने के लिए खण्डों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उपभोग की त्रुटिपूर्ण गणना हुई और एटी एंड सी हानि में वृद्धि हुई।

कम्पनी ने इस तथ्य को स्वीकार किया (जुलाई 2020) और बताया कि आज की तिथि में लगभग 15-20 लाख बिना मीटर वाले संयोजन हैं जो दो वर्ष पूर्व 65-70 लाख थे।

निष्कर्ष

वर्तमान लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रणों में बहुत कुछ प्राप्त होना रह गया जो इष्टतम बिलिंग हेतु मीटर-पठन योजना को जनित करने, बकाया धनराशि की वसूली का अनुश्रवण करने, स्थायी असंयोजन करने तथा वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल निर्गत करने हेतु आईटी बिलिंग प्रणाली को नियोजित करने में कम्पनी की विफलता से प्रमाणित होता है। कम्पनी/डिस्कॉम्स की वाणिज्यिक हानियों का निरंतर और बढ़ता स्तर इन संस्थाओं के नियंत्रण में अपर्याप्तता/विफलता का प्रमाणक है।

³ 6 अक्टूबर 2016 और 28 नवम्बर 2016 के आदेश के अनुसार।

संस्तुति		
संस्तुति संख्या	संस्तुति	सरकार की प्रतिक्रिया
8	कम्पनी/डिस्कॉम्स के हितों की रक्षा के लिए कम्पनी को बिलों को ठीक से निर्गत करने एवं चूककर्ताओं/स्थायी रूप से असंयोजित किए गए उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभार की वसूली करने सहित बिलिंग प्रणाली के उचित अनुश्रवण के सम्बंध में आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।	सहमत

लखनऊ
दिनांक 30 जुलाई 2021



(जयंत सिन्हा)
प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II)
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 23 अगस्त 2021



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक